

**कार्यालय  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सचनक्र।**

संख्या- प्राथम/परीषद सचनक्र।/2020/1871

सचनक्र दि-नं० 18-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय सार्वभौमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वास्तविक जीवन इतिहास, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं० 2020-21 हेतु विद्यमान राष्ट्रीय सार्वभौमिक शिक्षा समझौते को अनुसूचित प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक्र। के सचनक्र।/सचनक्र। विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अधिका. प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक्र। की अधिका. में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सं० 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संझौते को सचनक्र।/पूर्व से अधिसूचित संझौते को सचनक्र। विस्तार/वास्तविक/जीवन इतिहास वृद्धि सहित अन्य नवीं का विचार करते हुए सं० 2020-21 हेतु सचनक्र। प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुसूचन में सचनक्र। समिति की बैठक की सं०-3 में विधेयक इन कार्यालय वास्तविक अधिसूचित करने वाली पूर्ण से सचनक्र। संझौते का प्रकाशन रहा गया। सचनक्र। समिति द्वारा सचन विचार-विमर्श एवं निष्कर्ष प्रेषित किया गया -

निम्नी श्रेण में अधिसूचित किया गया इन कार्यालय वास्तविक अधिसूचित करने वाली संझौते, को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक्र। के पूर्व से सचनक्र। है, एवं सं० 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें सभागत अनुसूचित विस्तार प्रदान किया गया है। इन संझौते में पीसीआईई द्वारा प्रदान किए गये अनुसूचित विस्तार को अनुसूचित प्रदान करने के समुक्त अखिल वास्तविक/जीवन इतिहास के सं० सं० 2020-21 हेतु परिषद के सचनक्र। विस्तार प्रदान करने वाले नए अधिसूचित द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुसूचित विस्तार को अनुसूचन में सं० 2020-21 हेतु परिषद के सचनक्र। विस्तार दिने जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 18-09-2020 को उत्तर प्रदेश सचनक्र। समिति की बैठक में दिने गये अधिका. निर्णय के अनुसूचन में निम्न संझौते को अधिसूचित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक्र। द्वारा सं० 2020-21 हेतु निम्नलिखित तरीके से जीवन वास्तविक एवं उत्तर प्रदेश अधिका. प्रेषित किया हेतु सचनक्र। विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र। सं०	संझौते की श्रेण	सचनक्र। का नाम	सचनक्र। का नाम	पीसीआईई द्वारा सं० 2020-21 में अनुसूचित प्रेषित संझौते	पीसीआईई /परिषद द्वारा सं० 2020-21 में अनुसूचित प्रेषित संझौते
1	उच्च	बी.बी. इतिहास और वास्तविक जीवन इतिहास सहित विस्तार प्रदान एवं विचार-विमर्श पूर्ण, दिल्ली, गुवाहाटी।	विस्तार 24 प्राथम	60	80

**सचनक्र। हेतु नवीं**

- ✓ सं० 2020-21 हेतु पीसीआईई/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी संझौते का पूर्ण प्रदान करनी।
- ✓ संझौते प्राप्त प्रेषित प्राथमिक शिक्षा परिषद एच। एच। तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विधेयकवारी 1992 संझौते विधेयकवारी-2018 तथा अन्य निर्मित निर्णय एवं अधिसूचित को अनुसूचन करनी तथा सुस्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुस्त तीन वर्षीय इतिहास वास्तविक हेतु सं० 20,150-30/- जीवित, दो वर्षीय कार्यालय वास्तविक हेतु सं० 40,000-50/- जीवित एवं 20 तथा दो वर्षीय वास्तविक (दो वर्षीय कार्यालय के अधिसूचित) हेतु सं० 22,000 का अधिसूचित सुस्त की अधिसूचित प्राप्त/प्रकाश के अंतर्गत अधिका./अधिसूचित से सुस्त के अधिसूचित में संझौते-संझौते का प्रकाशन प्रदान किया किने जाने वाली सचनक्र। प्रेषित करनी होगी, और अनुसूचित अधिसूचित किया

*(Signature)*

- ✓ छात्र अवसरगत होगा। बीस निर्वाचन समिति द्वारा वधि सत्र 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्वाचन किया जाता है जो बीस की नवीनतम पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (अथवा प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाने) विनियमन-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवधिगत शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश सातन के निर्धारणका ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को राज्य-स्तर पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्वाचन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईटी/एनआईटीए/पीएनआईटीए से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने अवसरगत होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश सातन द्वारा बनाये गये विधि/निष्ठा/अभिलेखों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, राज्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उक्त तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंध्य होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पर्याप्तता की संस्थाएं वधि बीस/आई न्यू दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में सम्बन्धित शासनादेशों का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रवेश सातन को आई न्यू द्वारा दिया जाता है तथा राज्य स्तर के संस्था में या साधारण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिस्पर्धी सम्बन्धित संस्था को करना होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पर्याप्तता सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अन्तर्गत शासनादेश द्वारा प्रवेश करने के लिए सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बन्धित प्राप्त होने से पूर्व पीएनआईटीए से अनुमोदन प्राप्त कर लीक कार्यवाही में पर्याप्त प्रयास होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही) को सम्बन्धित के अन्तर्गत संस्था द्वारा पर बीस प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उक्त प्रवेश सातन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अन्तर्गत विधियों का अनुपालन करना अवसरगत होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा, राज्य, राज्य-स्तर, पर्याप्तता प्राप्त किए जाने बाधा सुनिश्चित, साधारणता सुनिश्चित शर्तों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु समस्त शासनादेश उपलब्ध करने के साथ ही राज्य स्तर के संस्था में सम्बन्धित साधारण सम्बन्धित सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो के कि संस्था में पर्याप्त/सम्बन्धित पर्याप्तता को बनाये जाने हेतु निर्वाचन समिति को सम्बन्धित बनाने पर सम्बन्धित सुनिश्चित सुनिश्चित, उपलब्ध इत्यादि का वधि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के सम्बन्धित में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था पर्याप्तता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले संस्था शर्तों का पर्याप्तता किये जाने की स्थिति में विनियमन अनुपालन कार्यवाही की जाएगी।


(30-अक्टूबर 2020)  
 अधिकारी

सूच्य- अधिकारी/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-3441

तार दिनांक: 15-08-2020

प्राथमिक-शासनादेश/निर्देशक, श्री पी.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, विकारपुर सराय  
 राय, विभाग- निर्देशक, कृषि, किलारी, मुसामबाद।

(30-अक्टूबर 2020)  
 अधिकारी

  
 P.D. INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL  
 EDUCATION & RESEARCH  
 VIKARPUR SARAI  
 MURADABAD (U.P.)





पृष्ठ संख्या दर्शाएं

पृष्ठ

पृष्ठ संख्या दर्शाएं ११११-११११

पृष्ठ संख्या दर्शाएं

पृष्ठ

INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH BHARATPUR BAHAR NODA, VILL. BOCHOLA DISTRICT BALLABHAGHAT



पृष्ठ संख्या दर्शाएं

  
INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL  
EDUCATION AND RESEARCH  
BHARATPUR BAHAR NODA  
BALLABHAGHAT



